निविदा का प्रारूप

कार्यालय अधीक्षक, मंडल कारा, जहानाबाद।

निविदा सूचना (वित्तीय वर्ष 2016–17)

मंडल कारा, जहानाबाद में वार्षिक अवधि दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 31.03.2017 तक एवं त्रैमासिक अवधि (i) दिनांक 01.04.2016 से दिनांक 30.06.2016 (ii) दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 30.09.2016 (iii) दिनांक 01.10.2016 से दिनांक 31.12.2016 एवं (iv) दिनांक 01.01.2017 से दिनांक 31.03.2017 तक की अवधि के खाद्यान्न, खाद्य–सामग्री, विविध–सामग्री, आलू, फल एवं मौसमी हरी–सब्जियों के क्रय के लिए **दिनांक 07.02.2016 के अपराह्न 02:00 बजे तक** अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सीलबंद निविदाएँ आमंत्रित की जाती है। जिसे **दिनांक 08.02.2016 के 01:00 बजे अपराह्न** जिला पदाधिकारी, जहानाबाद की अध्यक्षता में उनके कार्यालय–कक्ष में कारा क्रय समिति द्वारा निविदाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में खोला जाएगा। निविदादाता का स्वयं या प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में उनके द्वारा दिए गए निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाएँ हाथों–हाथ कारा कार्यालय में निर्धारित तिथि समय के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा तदूपरान्त प्राप्त होने वाले निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदाओं में प्राप्त न्यूनतम दर को या निगोशियेशन द्वारा प्राप्त न्यूनतम दर दोनो प्रक्रिया यथाआवश्यक स्वीकृत की जाएगी। निविदादाताओं को प्रमुख खाद्यान्नों एवं गुड़ का एक–एक किलो नमूना स्वयं के खर्च पर लाना होगा।

निविदा हेतु निम्नलिखित तकनीकि शर्तें होगी :–

(1) कारा निरीक्षणालय के पत्रांक 6952 दिनांक 14.11.07 के अनुसार खाद्य एवं विविध सामग्रियों के निविदा में भाग लेने हेतु अग्रधन (अर्नेस्ट मनी) बैंक गारंटी के रूप में मो0 40,000.00 (चालीस हजार रूपये मात्र) एवं त्रैमासिक अवधि (हरी सब्जी, फल इत्यादि) के लिए मो0 10,000.00 (दस हजार रूपये मात्र) अधीक्षक मंडल कारा, जहानाबाद के पदनाम से प्रतिज्ञित कर मूल रूप में देना होगा। जिसे सफल निविदादाताओं के उनके द्वारा लिए गए सामग्री का सत्यंकार राशि जमाकर ठीकाबंध करने के उपरांत वापस कर दिया जाएगा एंव असफल निविदादाता अपने बैंक गारंटी को वापस करने का अनुरोध निविदा प्रक्रिया समाप्ति पर कर वापस ले सकते है।

(2) प्रमुख खाद्यान्न–खाद्य सामग्रियों के निविदादाताओं को आयकर, वाणिज्यकर का निबंधन प्रमाण–पत्र एवं अद्यतन अवधि (विगत वर्ष) का आयकर रिर्टन तथा वाणिज्यकर का अद्यतन (विगत वर्ष) के भुगतान का प्रमाण–पत्र संलग्न कर, आयकर अधिनियम 44A,B के अनुसार विगत तीन वर्षों का टैक्स ऑडिट रिपोर्ट चार्टर्ड एकाउंटेन्ट का प्रस्तुत करना होगा।

नोट :– कोयला, लकड़ी, मुर्गा का माँस, गेहूँ पिसाई, दतवन, हरी सब्जी के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा सेक्सन 44 A, B आयकर अिधिनियम– 1961 की आवश्यकता नहीं होगी।

(3) खाद्यान्न के निविदादाताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार अनुज्ञप्ति/पंजीकृत रहना एवं प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(4) निविदादाताओं को जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा निकट अवधि का चरित्र प्रमाण–पत्र देना होगा।

(5) तकनीकि एवं वित्तीय निविदाएँ अलग–अलग लिफाफों में देना होगा एवं लिफाफा के उपर स्पष्ट लिखना भी होगा।

(6) निविदादाता को किसी प्रतिष्ठान/संस्थान से कालीकृत नहीं होने या एतद् संबंधी प्रक्रियाधीन नहीं होने तथा उनपर कोई क्रिमिनल या देनदारी का मुकदमा नहीं होने का शपथ–पत्र देना होगा साथ हीं उनके द्वारा विगत वर्षों में ठीका लेकर ठीकावंध नहीं करने का, आपूर्ति नहीं देने का कोई मामला लम्बित नहीं हो का भी उल्लेख उक्त शपथ पत्र में होना अनिवार्य होगा।